70

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 233/2021
रामोतार मीणा, निवासी ग्रा0पो0 भडौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं, पिनकोड 333024, मो0न0 9983644723

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 15.11.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.10.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 233/2021 पर दिनांक 01.11.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/3494–95 दिनांक 01.11.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक रीडर/आरटीआई/2021/608 दिनांक 09.11.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री रामोतार मीणा ग्राम पोस्ट भडून्दा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनूं द्वारा दिनांक 28.07.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नक्शा दुरस्ति करने से राजहित प्रभावित होने से संबंधित राजस्व विभाग की नियमावली की प्रति चाही गई थी। इस कार्यालय मे ऐसे नियमों की कोई नियमावली उपलब्ध नही है। जिसकी सूचना से इस कार्यालय के पत्र कमांक आर0टी0आई0/2021/227 दिनांक 07.07.2021 के द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं पत्रांक रीडर/आरटीआई/2021/608 दिनांक 09.11.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री रामोतार मीणा ग्राम पोस्ट भडून्दा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनूं द्वारा दिनांक 28.07.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नक्शा दुरस्ति करने से राजहित प्रभावित होने से संबंधित राजस्व विभाग की नियमावली की प्रति चाही गई थी। उनके कार्यालय मे ऐसे नियमों की कोई नियमावली उपलब्ध नही है। जिसकी सूचना से उनके कार्यालय के पत्र कमांक आर0टी0आई0/2021/227 दिनांक 07.07.2021 के द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। चूंकि कार्यालय मे उपलब्ध सूचना ही प्रार्थी को उपलब्ध कराई जा सकती है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 15.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर, झुंझुनूं